

द्वितीय सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

(समक्ष- मोहम्मद अजहर)

क्लेम प्रकरण क्र. 05/16

संस्थित दिनांक 25.01.2016

कृष्णा सिंह तोमर पुत्र शिवसिंह तोमर आयु 21 साल
निवासी ग्राम बम्हौरा थाना एण्डोरी, परगना गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

..... आवेदक

बनाम

1. नागेश सिंह कौरव पुत्र मोती सिंह कौरव आयु 38
साल निवासी ग्राम बाराहेड तहसील गोहद जिला
भिण्ड
चालक वाहन तूफान क्रमांक एम.पी.-30-बी.सी.-0776
2. शिवकुमार कौरव पुत्र रघुवीर सिंह कौरव आयु 26
साल निवासी ग्राम बाराहेड थाना एण्डोरी जिला
भिण्ड
मालिक वाहन तूफान क्रमांक एम.पी.-30-बी.सी.-0776
3. यूनाइटेड इण्डिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
पता- 34/ए इन्दपुरी गंज भोपाल म0प्र0

..... बीमा कंपनी

..... अनावेदकगण

.....
आवेदक द्वारा श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता
अनावेदक क्रमांक-1 व 2 द्वारा श्री राजीव शुक्ला अधिवक्ता।
अनावेदक क्रमांक-3 द्वारा श्री आर.के. बाजपेयी अधिवक्ता।
.....

// अधि-निर्णय //

(आज दिनांक 23.02.2018 को पारित)

1. यह क्लेम याचिका धारा 166 सहपठित धारा 140 मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत दिनांक 26.07.15 की सुबह लगभग 09:30 बजे माता मंदिर के पास बकनासा लालन का पुरा में हुई मोटर वाहन दुर्घटना में आवेदक को आई चोटों से उत्पन्न स्थाई निशक्तता के फलस्वरूप अनावेदकगण से संयुक्त रूप से अथवा पृथक-पृथक रूप से क्षतिपूर्ति की राशि 9,68,000/-रुपए ब्याज सहित दिलवाये जाने हेतु प्रस्तुत की गई है।

2. क्लेम याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 26.07.15 को आवेदक कृष्णा सिंह तोमर मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.जी.-8226 पर बैठ कर गेहूँ पिसाने बकनासा चक्की पर आ रहा था, मोटरसाइकिल नरेश सिकरवार चला रहा था। जैसे ही मोटरसाइकिल बकनासा रोड पर माता मंदिर के पास पहुंची तभी बम्हौरा की ओर से अनावेदक क्रमांक 01 नागेश ने तूफान गाड़ी वाहन क्रमांक एम.पी.-30-बी.सी.-0776 को तेजी व लापरवाही से चलाकर आवेदक को पीछे से टक्कर मार दी। जिससे आवेदक एवं नरेश सिंह गिर पड़े, आवेदक के दाहिने पैर पर पहिया चढ़ गया, जिससे उसे मेटाकॉर्पल हड्डीयों में फ्रैक्चर हो गया तथा शरीर में और भी गंभीर चोटें आईं। घटना की रिपोर्ट प्रेम सिंह तोमर ने की। जिस पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आवेदक को इलाज हेतु बिरला अस्पताल ग्वालियर भर्ती कराया गया। दिनांक 26.07.2015 से 15.09.15 तक आवेदक ने बिरला अस्पताल में भर्ती रहकर इलाज कराया। वर्तमान में भी उपचार चल रहा है। दुर्घटना से पूर्व आवेदक जय बॉम्बे आर्ट इंदौर की फर्म में पत्थर/टाइल्स लगाने का कार्य करके 450/-रुपए प्रतिदिन कमाता था। उक्त दुर्घटना में आई चोटों से उसे स्थाई निशक्तता आ गई है। जिससे वह अपने कार्य नहीं कर पा रहा है और उसे आय का नुकसान हो रहा है। दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 02 उक्त प्रश्नगत वाहन का पंजीकृत स्वामी था तथा उक्त वाहन अनावेदक क्रमांक 03 की बीमा कंपनी में समस्त दायित्वों के लिए बीमित था। अनावेदक क्रमांक 01 ने अनावेदक क्रमांक 02 के नियोजन में रहते हुए उक्त दुर्घटना कारित की है। उक्त आधारों पर क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाने की प्रार्थना की है।
3. अनावेदक क्रमांक 01 व 02 की ओर से क्लेम याचिका का लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए आवेदक के अभिवचनों का सामान्य और विनिर्दिष्ट प्रत्युत्तर किया है तथा यह अभिवचन किया है कि अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा दिनांक 26.07.15 को कोई भी दुर्घटना कारित नहीं की गई है, गलत रूप से क्लेम पाने के उद्देश्य से झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। प्रश्नगत वाहन अनावेदक क्रमांक 03 की बीमा कंपनी में बीमित होने से अनावेदक क्रमांक 01

व 02 का कोई दायित्व नहीं है। क्लेम याचिका निरस्त किए जाने की प्रार्थना की है।

4. अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी की ओर से क्लेम याचिका का लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए आवेदक के अभिवचनों का सामान्य और विनिर्दिष्ट रूप से प्रत्युत्तर दिया गया है। विशेष आपत्ति में यह अभिवचन दिया है कि यदि दुर्घटना दिनांक को उक्त प्रश्नगत वाहन से दुर्घटना होना, अनावेदक क्रमांक 01 का चालक होना, अनावेदक क्रमांक 02 का वाहन स्वामी होना सिद्ध होता है तो यह आपत्ति की गई है कि घटना स्वयं आवेदक जिस मोटरसाइकिल पर बैठा था उस मोटरसाइकिल चालक की लापरवाही व उपेक्षा से घटित हुई है। उक्त मोटरसाइकिल के चालक के पास दुर्घटना दिनांक को मोटरसाइकिल चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लाइसेंस नहीं था। प्रश्नगत वाहन के चालक के पास उसे चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लाइसेंस, रूट परमिट, एवं फिटनेस प्रमाणपत्र न होने से बीमा संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। मोटरसाइकिल के स्वामी एवं चालक को पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रकरण में पक्षकारों के असंयोजन का दोष है। आवेदक व अनावेदक क्रमांक 01 व 02 के द्वारा दुरभिसंधि कर ली गई है। क्लेम याचिका निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

5. उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिवचनों एवं प्रलेखों के आधार पर मेरे पूर्व विद्वान पदाधिकारी के द्वारा निम्नलिखित वादप्रश्न निर्मित किए गये, जिनके निष्कर्ष साक्ष्य की विवेचना के आधार पर उनके सामने लिखे जा रहे हैं:-

वादप्रश्न	निष्कर्ष
1. क्या अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा अनावेदक क्रमांक 02 के स्वामित्व की तूफान गाडी क्रमांक एम.पी.-30-बी.सी.-0776 को दिनांक 26.07.15 को सुबह करीब 09:30 बजे माता मंदिर के पास बकनासा डम्बर रोड पर उपेक्षा पूर्वक या उतावलेपन से चलाकर आवेदक को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की ?	प्रमाणित।
2. क्या, उक्त कथित दुर्घटना में आई	अप्रमाणित। आवेदक को फ्रेक्चर

उपहतियों के कारण आवेदक को स्थाई निशक्तता आ गई है। यदि हां तो कितने प्रतिशत ?	होकर गंभीर उपहति कारित हुई।
3. क्या आवेदक उक्त कथित दुर्घटना में पहुंची क्षतियों की पूर्ति के लिए अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति राशि पाने का पात्र है, यदि हां तो किस किस से कितनी कितनी राशि ?	आवेदक अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति की राशि 2,29,615/- (दो लाख उन्तीस हजार छः सौ पंद्रह) रूपए प्राप्त करने का अधिकारी है।
4. क्या अनावेदक क्रमांक 01 व 02 द्वारा उक्त वाहन की बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया है, यदि हां तो प्रभाव ?	अप्रमाणित।
5. अन्य अनुतोष ?	क्लेम याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

—:सकारण निष्कर्ष:—

वाद प्रश्न क्रमांक-01 एवं 02 :-

- उपरोक्त दोनों वादप्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है, ताकि तथ्यों की पुनरावृत्ति न हो।
- आवेदक कृष्णासिंह तोमर आ0सा0-01 ने यह बताया है कि दिनांक 26.07.15 को सुबह 09:30 बजे मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.जी.-8226 पर बैठ कर गेहूं पिसाने बकनासा चक्की पर आ रहा था, मोटरसाइकिल को नरेश सिकरवार चला रहा था। जैसे ही मोटरसाइकिल माता मंदिर के पास बकनासा डंबर रोड पर पहुंची तभी बम्हौरा की तरफ से तूफान गाडी जिसका नंबर एम.पी.-30/बी.सी.-0776 को अनावेदक नागेश तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया तथा पीछे से मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल गिर पर पड़ी और उसके दाहिने पैरा पर तूफान गाडी का पहिया चढ़ गया। जिससे दाहिने पैर की एडी कट गई और मेटाकॉर्पल हड्डियों में फ्रेक्चर हो गया तथा शरीर में अन्य जगह भी चोटें आईं, उसे बिरला अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना की रिपोर्ट उसके चाचा प्रेम सिंह के द्वारा की गई।
- नरेश सिंह सिकरवार आ0सा0-02 ने भी उपरोक्त घटना की पुष्टि करते हुए तूफान गाडी क्रमांक एम.पी.-30/बी.सी.-0776 को नागेश के द्वारा

तेजी व लापरवाही से चलाकर मोटरसाइकिल में टक्कर मारना तथा मोटरसाइकिल का गिरना तथा कृष्णा सिंह तोमर के दाहिने पैर पर तूफान गाडी का पहिया चढ़ना बताया है। प्रेम सिंह तोमर आ०सा०-03 ने भी उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि की है। परंतु वहीं अनावेदक क्रमांक 01 नागेश सिंह अना०सा०-02 ने यह बताया है कि उसकी गाडी तूफान क्रमांक एम.पी.-30/बी.सी.-0776 से किसी प्रकार की घटना कारित नहीं हुई है और उसने कोई टक्कर नहीं मारी है।

9. आवेदक की ओर से इस मामले में संबंधित आपराधिक प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्र०पी०-01 लगायत 10, इलाज के बिल एवं पर्चे वाहन भाड़े के बिल विकलांगता प्रमाणपत्र डिस्चार्ज टिकट एवं जांच का पर्चा प्र०पी०-11 लगायत 247 प्रस्तुत किए गए हैं। प्र०पी०-02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 26.07.15 को सुबह 09:30 बजे की घटना है तथा दिनांक 03.08.15 को दोपहर 03:10 बजे घटना की रिपोर्ट आवेदक के चाचा प्रेमसिंह तोमर के द्वारा लिखाई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०-02 के कॉलम नंबर 08 में विलंब से रिपोर्ट लिखाए जाने का कारण बिरला अस्पताल ग्वालियर में भर्ती कर इलाज कराने का लिखा हुआ है।
10. प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०-02 के अनुसार प्रेमसिंह तोमर भी अपनी मोटरसाइकिल से अपने घर ग्राम बम्होरा से बराहेड के लिए जा रहा था तथ उसका भतीजा आवेदक कृष्णा तोमर तथा नरेश सिंह सिकरवार मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.जी.-8226 से गेहूं पिसाने बकनासा चक्की पर जा रहे थे तभी एक गाडी तूफान क्रमांक एम.पी.-30/बी.सी.-0776 के चालक नागेश ने गाडी को तेजी व लापरवाही से चलाकर कृष्णा तोमर की मोटरसाइकिल में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कृष्णा तोमर व नरेश सिंह गिर पड़े और कृष्णा तोमर के दाहिने पैर में चोट लगी तथा कृष्णा को इलाज हेतु बिरला अस्पताल ग्वालियर में भर्ती कराया गया। इस प्रकार प्रेम सिंह तोमर ने कृष्णा सिंह तोमर को इलाज हेतु बिरला अस्पताल में भर्ती कराया है। प्र०पी०-02 की रिपोर्ट के अनुसार भी प्रेमसिंह तोमर

आ0सा0-03 एवं नरेश सिंह सिरकवार आ0सा0-02 घटना के चक्षुदर्शी साक्षी है। जिन्होंने उपरोक्त प्रकार से घटना होना बताया है।

11. इलाज एवं चिकित्सीय दस्तावेजों में प्र0पी0-09 एवं 10 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 26.07.15 को कृष्णा सिंह तोमर को बिरला अस्पताल में दिन में 12:30 बजे भर्ती कराया गया है अर्थात् तत्काल अस्पताल लाया गया है। आवेदक के बाएं पैर में कश इंजरी है। प्र0पी0-08 की एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार उसके बाएं पैर में दूसरी तीसरी एवं चौथी मेटाटार्सल हड्डी तथा एक टार्सल हड्डी में अस्थिभंग होना पाया गया है। प्र0पी0-02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी यह तथ्य है कि कृष्णा के पैर में चोट होने से चल नहीं पा रहा है। प्र0पी0-10 के दस्तावेज में चोट रोड एक्सीडेंट से आने का उल्लेख है। प्रेम सिंह के द्वारा भर्ती कराए जाने का भी उल्लेख है। इस प्रकार आवेदक को कई फ्रेक्चर होकर कश इंजरी आकर गंभीर चोट आई थी, जिसे प्रेम सिंह के द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसका लंबा इलाज चला है। उसके बाएं पैर का ऑपरेशन भी किया गया है।

12. प्र0पी0-167 दिनांक 26.07.15 से दिनांक 08.08.15 तक इलाज होने तथा ऑपरेशन होने संबंधी अंतिम बिल हैं। इन सभी दस्तावेजों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में आवेदक कृष्णा की ऐसी स्थिति नहीं थी कि वह या प्रेम सिंह तोमर तत्काल रिपोर्ट कराते। इस प्रकार आवेदक या प्रेम सिंह के द्वारा तत्काल रिपोर्ट कराया जाना भी संभव नहीं था। आवेदक पहले 26.07.15 से 08.08.15 तक और उसके बाद 08.09.15 से 15.09.15 तक बिरला अस्पताल में भर्ती रहा है, जहां उसका इलाज हुआ है और उसका ऑपरेशन हुआ है। बीमा कंपनी की ओर से शिखर श्रीवास्तव अना0सा0-01 की साक्ष्य प्रस्तुत की गई हैं, तथा अनावेदक क्रमांक 01 नागेश सिंह अना0सा0-02 ने भी अपनी साक्ष्य प्रस्तुत की है। जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-02 विलंब से लिखाए जाने का कोई आधार नहीं लिया है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि अनावेदकगण को इस बिन्दु पर कोई आपत्ति नहीं रही है। इन परिस্থितियों में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-02 में बिरला अस्पताल में भर्ती कर इलाज कराने का विलंब का जो कारण बताया गया है। वह

युक्तियुक्त और स्वाभाविक होना प्रकट होता है।

13. प्र०पी०-02 की रिपोर्ट के अनुसार अनावेदक नागेश के द्वारा उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर आवेदक की मोटरसाइकिल में टक्कर मारी है, जिससे आवेदक को चोटें आई हैं। प्र०पी०-02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से कृष्ण सिंह तोमर आ०सा०-01, नरेश सिंह सिरकवार आ०सा०-02 एवं प्रेमसिंह तोमर आ०सा०-03 की साक्ष्य की पुष्टि भली भांति हो रही है। तीनों ही साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में अन्य ऐसे कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं हैं जिससे कि उपरोक्त साक्षियों की साक्ष्य पर और उपरोक्त घटना पर अविश्वास किया जावे।
14. पुलिस के द्वारा भी अनुसंधान में प्रथम दृष्टि में अनावेदक क्रमांक 01 नागेश सिंह कौरव को दोषी पाते हुए उसके विरुद्ध अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया है। इससे भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अनावेदक नागेश के द्वारा उक्त वाहन क्रमांक एम.पी.-30-बी.सी.-0776 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर आवेदक की मोटरसाइकिल में टक्कर मार कर उक्त दुर्घटना कारित की है, जिससे आवेदक को गंभीर चोटें आई हैं। मोटरसाइकिल में टक्कर पीछे से मारी गई है, इस कारण यह भी नहीं कहा जा सकता कि मोटरसाइकिल चालक नरेश सिंह सिरकवार की कोई त्रुटि थी। अतः ऐसी स्थिति में यह प्रकट और प्रमाणित हो जाता है कि अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा अनावेदक क्रमांक 02 के स्वामित्व की तूफान गाड़ी क्रमांक एम.पी.-30-बी.सी.-0776 को दिनांक 26.07.15 को सुबह 09:30 बजे माता मंदिर के पास बकनासा डंबर रोड पर उपेक्षा पूर्वक व उतावलेपन से चलाकर आवेदक को टक्कर मारकर गंभीर उपहति कारित की।
15. जहां तक कि स्थाई निशक्तता का प्रश्न है, इस संबंध में डॉ यू. पी.एस. कुशवाह आ०सा०-05 ने यह बताया है कि दिनांक 01.09.16 को वह जिला चिकित्सालय भिण्ड में अस्थि रोग विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ थे, उक्त दिनांक को कृष्णा पुत्र शिवसिंह आयु 19 साल का परीक्षण कर उसको निशक्तता प्रमाणपत्र प्रदान किया था, जिसके अनुसार उसे दाहिनी एडी में घाव होकर न भरने वाला अल्सर था, जो एक साल पुराना था और हड्डी में

गलाव था, जिसकी वजह से उसे 30 प्रतिशत स्थाई निशक्ता थी। जिसका निशक्ता प्रमाणपत्र प्र०पी०-245 होना बताया है। प्रतिपरीक्षण में पैरा-02 में यह स्वीकार किया है कि कृष्णा इलाज होने से ठीक हो गया हो तो वह नहीं बता सकता। इस प्रकार इस साक्षी ने यह नहीं कहा है कि ऐसी चोट ठीक नहीं हो सकती थी। इसी कारण साक्षी यह कहता है कि यदि मरीज कृष्णा इलाज होने से ठीक हो गया हो तो वह नहीं बता सकता।

16. डॉ० यू.पी.एस. कुशवाह आ०सा०-05 ने पैरा-03 में यह स्वीकार किया है कि प्रमाणपत्र प्र०पी०-245 में यह अंकित नहीं किया गया है कि उनके द्वारा कोई मेडीकल परीक्षण किया गया था और पैरा-04 में भी उनके द्वारा यह स्वीकार किया गया है इस संबंध में उनके द्वारा कोई वैज्ञानिक परीक्षण नहीं किया गया था। परंतु न्यायदृष्टांत कमल कुमार जैन विरुद्ध ताजुद्दीन और अन्य ए आई आर 2004 (एम पी) 212 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि चोट को या अस्थि भंग को स्थाई अपंगता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जब तक की चिकित्सक के द्वारा वैज्ञानिक परीक्षण कर यह निष्कर्ष न निकाला गया हो कि वास्तव में आई हुई चोट से किसी प्रकार की अपंगता आई है।

17. प्रमाणपत्र प्र०पी०-245 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उक्त प्रमाणपत्र जिला विलांगता बोर्ड के द्वारा जारी नहीं किया गया है, प्रमाणपत्र पर बोर्ड के सदस्यों के भी हस्ताक्षर नहीं है। इस कारण वह विहित प्रारूप में होकर विधिवत् जारी किया जाना प्रकट नहीं है। अतः ऐसे प्रमाणपत्र प्र०पी०-245 के आधार पर यह मान्य नहीं किया जा सकता कि आवेदक को कोई स्थाई निशक्ता थी और वैसे भी अल्सर या हड्डी के गलाव को स्थाई निशक्ता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। यही कारण है कि स्वयं कृष्णा सिंह तोमर आ०सा०-01 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-10 में यह स्वीकार किया है कि वह अदालत में पैदल चलकर आया है, यद्यपि बाद में यह कहा है कि बैठ बैठ कर सहारा लेकर आया है। परंतु डॉ० यू.पी.एस. कुशवाह आ०सा०-05 ने ऐसा बताया ही नहीं है कि आवेदक चलने फिरने में भी असमर्थ हो गया था।

18. डॉ० अभिषेक बोहरे आ०सा०-06 ने यह बताया है कि दिनांक 26.07.15 को आवेदक कृष्णा सिंह तोमर को इलाज हेतु बिरला अस्पताल में लाया गया था, जिसके पैर में गंभीर चोट थी, जिसके फलस्वरूप पैर की हड्डियां, मांसपेशियां क्षतविक्षत थीं। जिसका उनके द्वारा ऑपरेशन किया गया था तथा 08.08.15 को स्थिर अवस्था में छुट्टी कर दी गई थी। प्र०पी०-246 का डिस्चार्ज टिकट उनके द्वारा तैयार किया गया था। इस प्रकार आवेदक को स्थिर अवस्था में होना बताया है। पैरा-03 में उन्होंने यह स्वीकार किया है कि उनका ऑपरेशन पूर्णतः सफल रहा था। इस साक्षी ने आहत कृष्णा को अंतिम बार दिनांक 16.02.16 को अपने पास आना बताया है, परंतु यह नहीं बताया है कि वह चलने फिरने में असमर्थ था या उसे कोई अपंगता या निशक्तता थी। वैसे भी आवेदक के पैर में मेटाटार्सल हड्डी में फ्रैक्चर एवं कश इंजरी है, जिनके ऑपरेशन हो चुके हैं। जिससे किसी प्रकार की स्थाई निशक्तता आना प्रकट नहीं होती अपितु उपरोक्त प्रकार से गंभीर उपहति आना प्रकट होती है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 04

19. यह वादप्रश्न बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में है। इस संबंध में बीमा कंपनी की ओर से शिखर श्रीवास्वत आ०सा०-01 की साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, उन्होंने यह बताया है कि वाहन क्रमांक एम.पी.-30-बी.सी.-0776 का बीमा कंपनी से पॉलिसी क्रमांक 1911013114पी112135999 से शिवकुमार के नाम से 31.03.15 से 30.03.2016 तक के लिए प्राइवेट कार के रूप में बीमा पॉलिसी की शर्तों के अंतर्गत किया गया है। उक्त बीमा पॉलिसी प्र०डी०-01 होना बताया है, जिसके अनुसार उक्त वाहन का उपयोग कथित घटना दिनांक 26.07.15 को भाड़े पर यात्री ले जाने में बीमा पॉलिसी की शर्तों के विपरीत किया गया है, इसलिए बीमा कंपनी का कोई दायित्व नहीं होना बताया है। प्र०डी०-01 की बीमे की प्रमाणित प्रतिलिपि का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उस पॉलिसी में परमिट एवं लाइसेंस की शर्त है। उक्त वाहन प्राइवेट कार के रूप में तथा पॉलिसी पैकेज पॉलिसी के रूप में है। उक्त कार फॉर्स/टेम्पो तूफान हैं, जिसमें 12 व्यक्तियों की सिटिंग कैपैसिटी

है। जहां कि ड्रायवर सहित 12 व्यक्ति उस वाहन में बैठ सकते तब यदि उक्त वाहन में कोई व्यक्ति बैठा हो तो थर्ड पार्टी के लिए किसी शर्त का उल्लंघन होना नहीं माना जा सकता।

20. बीमा कंपनी की ओर से शिखर श्रीवास्तव ने केवल यह बताया है कि उक्त वाहन में भाड़े पर यात्री को ले जाने से बीमा पॉलिसी की शर्त का उल्लंघन किया गया है, परंतु इस संबंध में बीमा कंपनी की ओर से कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है कि उक्त प्रश्नगत तूफान वाहन में कौन कौन बैठकर जा रहा था, उससे यात्री के रूप में किराया लिया गया था यह वह वाहन स्वामी के रिश्तेदार के रूप में था। आवेदक की ओर से जो दस्तावेज पेश किए गए हैं उससे भी ऐसा प्रकट नहीं है कि उक्त वाहन में व्यक्ति सवारियों के रूप में बैठ कर जा रहे थे। यदि यह मान भी लिया जाए कि व्यक्ति सवारियों के रूप में बैठे थे तब भी दुर्घटना थर्ड पार्टी अर्थात् वाहन के सामने वाले व्यक्ति कृष्णा सिंह तोमर के साथ हुई है और उसे चोटें आई हैं, तब भी उसे बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता, क्योंकि चोटें यात्रियों को न आकर वाहन के सामने वाले व्यक्ति अर्थात् थर्ड पार्टी को आई है। अतः ऐसी स्थिति में यह प्रकट और प्रमाणित नहीं होता है कि अनावेदक क्रमांक 01 व 02 के द्वारा बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया गया।

वादप्रश्न क्रमांक 03:-

21. उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह प्रकट और प्रमाणित है कि अनावेदक क्रमांक 01 ने अनावेदक क्रमांक 02 के नियोजन में रहते हुए दिनांक 26.07.15 को सुबह 09:30 बजे के लगभग प्रश्नगत वाहन तूफान क्रमांक एम.पी.-30-बी.सी.-0776 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर आवेदक को टक्कर मारकर उसे गंभीर उपहति कारित की तथा दुर्घटना दिनांक को उक्त वाहन अनावेदक क्रमांक 03 की बीमा कंपनी में बीमित था, जैसा कि प्र0डी0-01 से स्पष्ट है। अतः ऐसी स्थिति में आवेदक अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है।
22. डिस्चार्ज टिकट प्र0पी0-246 एवं बिरला अस्पताल के अंतिम बिल प्र0पी0-167 एवं 168 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि आवेदक बिरला

अस्पताल में दिनांक 25 एवं 26.07.15 से 08.08.15 तक तथा दिनांक 08.09.15 से 15.09.15 तक भर्ती रहा है। इस प्रकार आवेदक लगभग 23 दिवस भर्ती रहा है और उसने अपना इलाज कराया है। उसके दो बार ऑपरेशन हुए हैं अतः ऐसी स्थिति में आवेदक को मानसिक वेदना एवं शारीरिक पीडा के मद में 35,000/-रुपए की राशि दिलाई जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जो उसे दिलाई जाती है।

23. आवेदक कृष्णा सिंह तोमर आ0सा0-01 ने टाईल्स लगाने का कार्य करके 450/- प्रतिदिन अर्थात लगभग 14,000/-रुपए मासिक आय अर्जित करना बताया है। परंतु प्रतिपरीक्षण के पैरा-06 में उसने बताया है कि इस संबंध में उसके पास कोई कागज नहीं है। नरेश सिंह सिकरवार आ0सा0-02 ने पैरा-07 में यह स्वीकार किया है कि कृष्णा इंदौर में टाईल्स लगाने का कार्य किसके यहां करता था, पता नहीं, उसने स्वयं इंदौर में कृष्णा को मजदूरी की रुपए लेते देते नहीं देखा। इसी प्रकार प्रेम सिंह तोमर आ0सा0-03 ने पैरा-08 में यह स्वीकार किया है कि उसे नहीं पता कि कृष्णा किस फर्म में कार्य करता था। राहुल सिंह आ0सा0-04 ने पैरा-07 में यह स्वीकार किया है कि मजदूरी के भुगतान के रजिस्टर की कोई प्रति उसके व कृष्णा के पास नहीं है। आवेदक की ओर से ऐसा कोई रजिस्टर, हिसाब, किताब भी प्रस्तुत नहीं किया है कि आवेदक टाईल्स का कार्य करता था। अतः ऐसी स्थिति में टाईल्स का कार्य करके 14,000/-रुपए मासिक आय अर्जित करना प्रमाणित नहीं होता है।

24. वर्तमान में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर अकुशल श्रमिक के हिसाब से लगाएं तथा यह भी मान्य करें कि कम से कम 20-25 दिवस कार्य करता है। तब भी कम से कम 5,000/-रु. आय प्रतिमाह की दर से होती है। न्यूनतम मजदूरी की दर तथा मंहगाई, आवश्यकता तथा अन्य सम्पूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक की मासिक आय 5,000/-रु. मान्य की जाती है।

25. आवेदक के दाहिने पैर में दूसरी, तीसरी एवं चौथी मेटाटॉर्सल हड्डी एवं एक टॉर्सल हड्डी का फ्रैक्चर होकर उसके दो ऑपरेशन हुए हैं।

अतः ऐसी स्थिति में यह निश्चित है कि वह पांच माह तक अपने सामान्य कार्य करने से विरत रहा होगा। अतः ऐसी स्थिति में उसे पांच माह की आय की हानि दिलाई जाना न्यायोचित है, जो कि 25,000/-रुपए होती है, उक्त राशि आवेदक को दिलाई जाती है। आवेदक 23 दिवस भर्ती रहा है और उसने इलाज कराया है। आवेदक ग्राम बम्हौरा, थाना एण्डोरी, तहसील गोहद का निवासी है और ग्वालियर बिरला अस्पताल में वह भर्ती रहा है और उसका इलाज हुआ है।

26. आवागमन के संबंध में उसके द्वारा प्र०पी०-244 की रसीद प्रस्तुत की गई है, जो जीप क्रमांक एम.पी.-07-एल-2760 के है जिसमें कृष्णा तोमर को इलाज हेतु तीन बार ग्वालियर ले जाना बताया गया है और 8,000/-रुपए प्राप्त करना बताया गया है। प्रस्तुत किए गए चिकित्सीय दस्तावेजों से स्पष्ट है कि आवेदक इलाज हेतु दो तीन बार बिरला अस्पताल गया है उसके ऑपरेशन भी हुए हैं वह भर्ती भी रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा बिरला अस्पताल जाकर लगातार इलाज कराया गया है। अतः आवागमन एवं परिवहन के व्यय के रूप में कुल राशि 5,000/-रुपए दिलाई जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। आवेदक को उक्त राशि दिलाई जाती है। आवेदक 23 दिवस अस्पताल में भर्ती रहा है, तब निश्चित तौर पर कुछ न कुछ विशेष आहार लिया होगा। विशेष आहार के रूप में 2,500/-रुपए की राशि दिलाई जाती है।

27. आवेदक लगभग पांच माह तक अपने सामान्य कार्य करने से विरत रहा है। तब ऐसी स्थिति में निश्चित है कि किसी न किसी ने उसे अटेण्ड किया है। अटेण्डर स्वरूप उसे 7,000/-रुपए की राशि दिलाई जाती है।

28. आवेदक को उसके इलाज के व्यय की राशि भी दिलाई जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। बिरला अस्पताल का अंतिम बिल दिनांक 08.08.15 प्र०पी०-167 है जो कि 43,490/-रुपए का है। अंतिम बिल दिनांक 15.09.15 प्र०पी०-168 है जो कि 19,590/-रुपए का है। अन्य बिरला अस्पताल की एडवांस राशि की रसीद है जो कि अंतिम बिल में समायोजित किया जाना न्यायोचित है। आवेदक की ओर से रसीदों की और केशमेमो की

दो-दो तीन-तीन प्रतियां प्रस्तुत कर दी गई हैं। जिनकी गणना नहीं की गई। अन्य मेडीकल स्टोर के केशमेमो प्रस्तुत किए गए हैं, जिनकी गणना की गई। इस प्रकार इलाज के व्यय की कुल राशि 1,55,115/-रुपए होती हो जो आवेदक को दिलाई जाती है।

29. इस प्रकार आवेदक अनावेदकगण ने संयुक्त रूप से अथवा प्रथक-प्रथक रूप से निम्न प्रकार से राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं:-

क्रमांक	मद	राशि
1	मानसिक वेदना एवं शारीरिक पीड़ा के मद में	35,000 /-रुपए
2.	आय की हानि	25,000 /-रुपए
3.	विशेष आहार में व्यय राशि	2,500 /-रुपए
4.	अटेण्डर व्यय की राशि	7,000 /-रुपए
5.	आवागमन एवं परिवहन के व्यय की मद में	5,000 /-रुपए
6.	इलाज का व्यय	1,55,115 /-रुपए
	कुल राशि	2,29,615 /-रुपए

वादप्रश्न क्रमांक-05 सहायता एवं वादव्यय:-

30. उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक अपनी क्लेम याचिका आंशिक रूप से प्रमाणित करने से सफल रहा है। अतः क्लेम याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आवेदक के पक्ष में तथा अनावेदकगण के विरुद्ध निम्न आशय का अधिनिर्णय पारित किया जाता है:-

1. अनावेदकगण आवेदक को क्षतिपूर्ति राशि **2,29,615 /- (दो लाख उन्तीस हजार छः सौ पंद्रह) रुपए** अधिनिर्णय दिनांक 23.02.17 से दो माह की अवधि में अदा करें।
2. अनावेदकगण, आवेदक को क्षतिपूर्ति राशि पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक 25.01.16 से संपूर्ण राशि की अदायगी तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज भी अदा करें।
3. क्षतिपूर्ति राशि अदा करने का प्रथम दायित्व बीमा कंपनी अनावेदक क्रमांक 03 पर होगा।

4. आवेदक को प्राप्त होने वाली उपरोक्त क्षतिपूर्ति राशि 2,29,615/-(दो लाख उन्तीस हजार छः सौ पंद्रह) रूपए एवं उस पर ब्याज की राशि आवेदक को बैंक के माध्यम से नकद प्रदान की जावे।

5. अनावेकगण अपना स्वयं का तथा आवेदक का वाद व्यय वहन करेंगे। अभिभाषक शुल्क 1,000/—रूपए निर्धारित किया जाता है।

उक्तानुसार व्यय तालिका बनायी जावे।

अधिनिर्णय न्यायालय में दिनांकित एवं मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय सदस्य मो.दु.दावा अधि.
गोहद, जिला भिण्ड

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय सदस्य मो.दु.दावा.अधि.
गोहद, जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)